Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांरा में पटवारी 20 हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *09 अगस्त बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा–देहात इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जगदीश चंद, पटवारी, पटवार हल्का अतांना, तहसील अटरू, जिला बांरा को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा–देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सिवायचक भूमि चारागाह में पेड़ काटने की झूठी शिकायत पर नौकरी खराब करने एवं झूंठे केस में फसाने की धमकिया देकर जगदीश चंद, पटवारी, पटवार हल्का अतांना, तहसील अटरू, जिला बांरा द्वारा **25 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा** के सुपरवीजन में एसीबी की कोटा–ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रेरणा शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये जगदीश चंद पुत्र श्री छोगालाल, निवासी गंदोलिया, तहसील अटरू, जिला बांरा हाल पटवारी, पटवार हल्का अतांना, तहसील अटरू, जिला बांरा को परिवादी से **20 हजार रूपये नगद राशि** रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनिय है कि आरोपी द्वारा दिनांक 08.07.2023 को परिवादी के भाई से 5 हजार रूपये प्राप्त किये गये थे। प्रकरण में तहसीलदार अटरू की भूमिका संदिग्ध है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्व भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।